

REVIEW STATEMENT TO BE LAID ON THE TABLE OF PARLIAMENT ALONG WITH THE ANNUAL REPORT AND AUDITED ACCOUNTS FOR THE YEAR 2014-15 IN RESPECT OF SCIENCE AND ENGINEERING RESEARCH BOARD (SERB), NEW DELHI

The Science and Engineering Research Board (SERB) is a statutory body established in the year 2008, through an Act of Parliament. Supporting basic research in emerging areas of science and engineering is the primary and distinct mandate of the Board. The SERB structure comprises Board and Oversight Committee, which enable the organization to take fair and faster funding decisions on research proposals, thereby greatly improving its response to the needs of the research community. The Board meets at least four times a year, whereas the Oversight Committee meets twice a year.

2. THE BOARD

Secretary, DST is the Chairperson of SERB with Member Secretary, Planning Commission, Secretary, Department of Biotechnology, Secretary, Department of Scientific and Industrial Research, Secretary, Ministry of Earth Sciences, Secretary, Department of Expenditure, Secretary, Department of Health Research as Members and Secretary, SERB as Member Secretary. Besides, three members each appointed by the Central Government from amongst persons having experience in scientific research in different disciplines in (i) academic institutions, (ii) Government research laboratories; and (iii) industry, international projects on science and technology, socio-economic sectors and other Government research laboratories.

3. OVERSIGHT COMMITTEE:

Professor CNR Rao, Jawaharlal Nehru Centre for Advanced Scientific Research is the Chairperson with Secretary, DST as Vice Chair and Presidents of Indian Academy of Sciences, Indian National Science Academy, Indian National Academy of Engineering and Secretary, Science Engineering Research Board as Members. Besides, three Members appointed by the Central Government from amongst distinguished experts in different areas of Science and Technology are also part of the Oversight Committee.

4. OBJECTIVES OF THE BOARD:-

- Serves as a premier agency for planning, promoting and funding internationally competitive research in emerging areas.
- Identifies major inter-disciplinary research areas, and individuals, groups or institutions and funds them for research.
- Assists in setting up infrastructure and environment for scientific pursuit.
- Enables synergy between academic institutions, research and development laboratories and industry for promoting basic research in science and engineering.
- Evolves a management system to speedily provide research funds, including monitoring and evaluation, by adopting modern management practices.

5. SERB PROGRAMS:-

1. **R & D Support:-** Core research grants (Extramural Research Projects), Scheme for Young Scientists, Intensification of Research in High Priority Areas (IRPHA) and Empowerment and Equity Opportunities

2. **Fellowships and Awards:-** JC Bose, Ramanujan, Prime Minister's Doctoral, Distinguished Scientist, National Post-Doctoral Fellowships and Women Excellence Award.
3. **S & T Support Systems:-** International Travel Support and support to Professional Bodies and for Seminar/Symposia.
4. **Partnerships :-** National and International Partnerships.

The Board met four times in the reporting period and took several decisions. Some of the major decisions taken by the Board are:

- (a) Revision of fellowship in R&D Programmes for JRF/SRF/RA categories of researchers with effect from 1st October, 2014. The fellowship of SERB Young Scientist revised from Rs.35,000/- to Rs.55,000/- pm and the budget limit also raised.
- (b) To support mathematical sciences research, a proposal has been approved to sign a MoU with International Centre for Pure and Applied Mathematics (CIMPA) to organize three CIMPA-India Schools per year in India and sponsor 15 doctoral/postdoctoral students per year to attend CIMPA Schools held abroad.
- (c) In order to augment quality manpower in niche areas of research, Board approved continuation of 50 Indo-US Overseas Postdoctoral fellowships per year for a period of 3 years through Indo-US Science and Technology Forum (IUSSTF).

A wide variety of on-going schemes/programmes were supported during the reporting period. Programme Advisory Committees (PAC) continue to play a decisive role in providing core research support to scientists. A total of 613 scientists were supported through projects costing Rs.253 crores.

A total of 878 projects costing Rs.195 crores were granted to young researchers under the Fast Track Scheme for Young Scientists.

Sixty-eight scientists were supported through projects worth Rs.20.07 crore in the "Empowerment and Equity Opportunities for Excellence in Science" Scheme. The scheme received overwhelming response from weaker sections of the society. "SERB Women Excellence Award" Scheme continues to support women scientists who are awardees of young scientist/associate-ship of any of the national academies. 6 women scientists were conferred this award. Seven other Distinguished Fellows have been selected.

Eight scientists received Ramanujan Fellowships and other eleven scientists received JC Bose Fellowships. A study conducted by Thomson Reuters on JC Bose Fellows' performance revealed that these fellows publish substantial research and the citation impact of these fellows was higher than the Indian research level as a whole and above the world average.

Fifty students have been selected for SN Bose Scholarship. This programme is implemented in partnership with IUSSTF to develop a dynamic student exchange program between Indian institutions and premier U.S. Universities for Indian and U.S. students. Other international programs like Graduate Research Opportunities Worldwide (GROW), Partnerships for International Research & Education (PIRE), etc. also continue to be active. GROW program is a partnership between the Board and the National Science Foundation (NSF) to provide NSF Graduate Research Fellows opportunities to enhance their professional development through research collaborations with top-ranking science and engineering research institutions in India. PIRE is NSF's Flagship International Programme to support high quality research and education projects across all disciplines. SERB has entered into a formal understanding with NSF to be a partner in the 2014 announcement of PIRE.

A total of 36 scientists were supported through projects worth Rs.6.32 crores in the program related to Food Processing.

More than 2200 scientists were supported under the "International Travel Support" (ITS) scheme which is designed to provide financial assistance for presenting a research paper or chairing a session or delivering a keynote address in an international scientific event (conference/seminar/symposium/workshop etc.) held abroad. Assistance to Professional Bodies & Seminar / Symposia Scheme extends partial support on a selective basis, for organizing seminar / symposia/ training programmes / workshops / conferences at national as well as international level. About 750 such events were supported. Utilization of the Scientific Expertise of Retired Scientists (USERS) Scheme has continued to play a significant role in involving large number of retired scientists in S&T developmental activities. Twelve books were published during the period.

The online portal www.serbonline.in has been made fully operational for submission of R&D proposals in PAC and Young Scientist Schemes.

Total expenditure of Rs.554.87 crore was made for various R&D activities in the year 2014-15.


6. IMPLEMENTATION OF OFFICIAL LANGUAGE

Science & Engineering Research Board, since its inception has been implementing the guidelines issued by the Department of Official Language, Ministry of Home Affairs. Efforts are constantly made for the promotion of the Official Language.

7. RIGHT TO INFORMATION ACT

The provisions of RTI Act, 2005 are being followed and requisite information is provided to the Applicants under RTI Act.

AUTHENTICATED



(Y.S. CHOWDARY)
Minister of State in the Ministry of Science & Technology
and Ministry of Earth Sciences

वाई. एस. चौधरी / Y.S. CHOWDARY
वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री
Minister of State in the Ministry of Science and Technology
भारत सरकार / Govt. of India
नई दिल्ली / New Delhi

COMPREHENSIVE DELAY STATEMENT EXPLAINING THE REASONS OF DELAY IN LAYING THE ANNUAL REPORT AND AUDITED STATEMENT OF ACCOUNTS FOR THE YEAR 2014-15 OF THE SCIENCE & ENGINEERING RESEARCH BOARD (SERB), NEW DELHI, ON THE TABLE OF BOTH THE HOUSES OF PARLIAMENT DURING THE WINTER SESSION, 2016.

The Annual Report along with the Audited Statement of Accounts for the year 2014-15 in respect of the SCIENCE & ENGINEERING RESEARCH BOARD (SERB), NEW DELHI, which was required to be laid on the Table of the Lok Sabha/Rajya Sabha during the Winter Session of 2014-2015, could not be laid within the stipulated date despite all out efforts made by the Board and this Department. The aforesaid papers are now being laid on the Table of both the Houses of Parliament during the Winter Session, 2016.

2. The delay in laying the Reports, which was due to circumstances beyond the control of this Department, is sincerely regretted.



(Y. S. Chowdary)

**Minister of State in the Ministry of Science & Technology
and Ministry of Earth Sciences**

वाई. एस. चौधरी / Y.S. CHOWDARY
वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री
Minister of State in the Ministry of Science and Technology
भारत सरकार / Govt. of India
नई दिल्ली / New Delhi

The reasons for delay in laying of the Annual Reports and Audited Accounts of the Board for the Financial Year 2014-15

S.No	Particulars	Actual Position
(a)	The date on which Board approached the Audit Authorities to appoint the auditors for auditing the accounts and date of their appointment	18.09.2015 29.09.2015
(b)	The date of compilation of Annual Accounts of Board	14.09.2015
(c)	The date on which the Annual Account were submitted to Auditors for auditing	29.09.2015
(d)	The date and duration for auditing of the Annual Accounts of Board by Auditors	29.09.2015 - 30.10.2015
(e)	The date of queries raised by Auditors during auditing of Annual Accounts	29.09.2015 - 30.10.2015
(f)	The date on which the replies to the audit queries was furnished to the Auditors	29.09.2015 - 30.10.2015
(g)	The date on which draft Audit Report was issued by Audit Authorities	23.11.2015
(h)	The date on which the Final Audit Report received by Board.	31.03.2016
(i)	The date of finalization of Annual Reports.	20.07.2016
(j)	The date on which documents were got approved from the Competent Authority.	29.07.2016
(k)	The date on which documents were taken up for translation and printing and the time taken for completing the task.	10.08.2016 - 31.10.2016 (2 Months 21 days)
(l)	The date on which the documents were sent to the Ministry for being laid in House	09.11.2016
(m)	The date of laying of the documents on the Table of the House.	07.12.2016 in Lok Sabha 08.12.2016 in Rajya Sabha

विज्ञान और इंजीनियरी अनुसंधान बोर्ड (एसईआरबी), नई दिल्ली के संबंध में वर्ष 2014-15 के लिए वार्षिक रिपोर्ट और लेखा परीक्षित लेखे सहित संसद के पटल पर रखे जाने वाला समीक्षा विवरण।

विज्ञान और इंजीनियरी अनुसंधान बोर्ड (एसईआरबी), संसद के अधिनियम 2008 द्वारा स्थापित एक सांविधिक निकाय है। बोर्ड का प्रमुख और विशिष्ट अधिदेश, विज्ञान और इंजीनियरी के उभरते क्षेत्रों में आधारभूत अनुसंधान को सहायता देना है। एसईआरबी की अवसरचना में बोर्ड और इसकी निरीक्षण समिति सम्मिलित हैं, जिससे अनुसंधान के प्रस्तावों पर उचित और शीघ्र निधीयन संबंधी निर्णय लेने में संगठन समर्थ बना है और शोधकर्ता समुदाय की आवश्यकताओं के प्रति हमारी प्रतिक्रियाशीलता में भारी सुधार हुआ है। बोर्ड की, वर्ष में कम से कम चार बैठकें आयोजित की जाती हैं, जबकि निरीक्षण-समिति की बैठकें वर्ष में दो बार आयोजित की जाती हैं।

2. बोर्ड

सचिव, डीएसटी एसईआरबी के अध्यक्ष हैं और सदस्य सचिव, योजना आयोग, सचिव जैव प्रौद्योगिकी विभाग, सचिव वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग, सचिव, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, सचिव, व्यय विभाग, सचिव, स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग इसके सदस्य हैं तथा सचिव, एसईआरबी इसके सदस्य सचिव हैं। इसके अतिरिक्त, केन्द्र सरकार द्वारा विज्ञान और प्रौद्योगिकी, सामाजिक – आर्थिक क्षेत्रों और अन्य सरकारी अनुसंधान प्रयोगशालाओं पर अन्तर्राष्ट्रीय परियोजनाओं में भिन्न भिन्न विषयों में वैज्ञानिक अनुसंधान का अनुभवप्राप्त व्यक्तियों में से (i) शैक्षिक संस्थाओं, (ii) सरकारी अनुसंधान प्रयोगशालाओं और (iii) उद्योग से, तीन-तीन सदस्य नियुक्त किए गए हैं।

3. निरीक्षण समिति

प्रो. सी.एन.आर. राव, जवाहर लाल नेहरू उन्नत वैज्ञानिक अनुसंधान केन्द्र इसके अध्यक्ष हैं, सचिव, डीएसटी उपाध्यक्ष हैं तथा भारतीय विज्ञान अकादमी, भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी, भारतीय राष्ट्रीय इंजीनियरी अकादमी के प्रेसीडेंट और सचिव, विज्ञान और इंजीनियरी अनुसंधान बोर्ड इसके सदस्य हैं। इसके अतिरिक्त, तीन सदस्य केन्द्र सरकार द्वारा विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विभिन्न क्षेत्रों के विख्यात विशेषज्ञों में से नियुक्त किए गए हैं।

4. बोर्ड के उद्देश्य :-

- उभरते क्षेत्रों में अन्तर्राष्ट्रीय रूप से प्रतिस्पर्धात्मक अनुसंधान की योजना तैयार करने, संवर्धन और निधीयन करने के लिए एक प्रमुख एजेंसी के रूप में कार्य करना।
- प्रमुख अन्तर-विषयी अनुसंधान क्षेत्रों और व्यक्तियों, समूहों अथवा संस्थानों की पहचान करना तथा उन्हें अनुसंधान करने के लिए निधि प्रदान करना।
- वैज्ञानिक खोज के लिए अवसरचना और वातावरण तैयार करने में सहायता देना।
- विज्ञान और इंजीनियरी में मूल अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए शैक्षणिक संस्थाओं, अनुसंधान और विकास की प्रयोगशालाओं तथा उद्योगों के बीच सामंजस्य स्थापित करने के लिए समर्थ बनाना।

- अनुसंधान के लिए तुरन्त निधि प्रदान करने हेतु एक प्रबन्धन प्रणाली विकसित करना, जिसमें आधुनिक प्रबंधन पद्धतियों को अपनाते हुए अनुवीक्षण और मूल्यांकन करना भी शामिल है।

5. एसईआरबी कार्यक्रम :-

1. अनुसंधान और विकास सहायता : मूल अनुसंधान अनुदान (बाह्य निधीयन अनुसंधान परियोजनाएँ), युवा वैज्ञानिकों के लिए स्कीम, उच्च प्राथमिकता के क्षेत्रों में अनुसंधान का तीव्रीकरण (आईआरएचपीए), सशक्तिकरण और साम्यता के अवसर।
2. अध्येतावृत्तियां और पुरस्कार : जे.सी.बोस, रामानुजन, प्रधानमंत्री डॉक्टरल विशिष्ट वैज्ञानिक, राष्ट्रीय पोस्ट डॉक्टरल अध्येतावृत्तियां, महिला उत्कृष्टता पुरस्कार।
3. एसएंडटी सहायता प्रणालियां : अंतर्राष्ट्रीय यात्रा सहायता, व्यावसायिक निकाय और सेमिनार/संगोष्ठियां।
4. प्रतिभागिताएं : राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभागिताएं।

रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान बोर्ड की चार बैठकें आयोजित की गईं और इनमें अनेक निर्णय लिए गए। बोर्ड द्वारा लिए गए निर्णयों में से प्रमुख निर्णय हैं :-

- (क) 01 अक्टूबर, 2014 से अनुसंधानकर्ताओं की जेआरएफ/एसआरएफ/आरए श्रेणियों के लिए अनुसंधान और विकास कार्यक्रमों की अध्येतावृत्तियों में संशोधन किया गया। एसईआरबी युवा वैज्ञानिक की अध्येतावृत्ति को ₹35,000/- से बढ़ाकर ₹55,000/- प्रतिमाह कर दिया गया तथा बजट सीमा को भी बढ़ाया गया।
- (ख) गणितीय विज्ञान अनुसंधान को सहायता देने के लिए, भारत में प्रतिवर्ष तीन सीआईएमपीए-इंडिया स्कूलों का आयोजन करने और सीआईएमपीए स्कूलों में भाग लेने के लिए प्रति वर्ष 15 डॉक्टरल/पोस्टडॉक्टरल छात्रों का नाम प्रायोजित करने के लिए इंटरनेशनल सेंटर फॉर प्योर एंड एप्लाइड मैथेमेटिक्स (सीआईएमपीए) के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के एक प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया।
- (ग) अनुसंधान के विशिष्ट क्षेत्रों में जनशक्ति की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए, बोर्ड द्वारा इण्डो-यूएस विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंच (आईयूएसएसटीएफ) के माध्यम से तीन वर्षों की अवधि के लिए प्रतिवर्ष 50 इण्डो-यूएस ओवरसीज पोस्ट डॉक्टरल अध्येतावृत्तियों को जारी रखने का अनुमोदन किया गया।

रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान, कार्यान्वित की जा रही विभिन्न प्रकार की स्कीमों/कार्यक्रमों को सहायता दी गई। कार्यक्रम सलाहकारी समितियां (पीएसी) वैज्ञानिकों को मूल अनुसंधान सहायता प्रदान करने में निर्णायक भूमिका निभाती हैं। कुल 613 वैज्ञानिकों को ₹253 करोड़ की लागत की परियोजनाओं के माध्यम से सहायता दी गई।

युवा वैज्ञानिकों के लिए त्वरित स्कीम के अंतर्गत, युवा वैज्ञानिकों को ₹195 करोड़ की लागत की कुल 878 परियोजनाओं को सहायता दी गई।

"विज्ञान में उत्कृष्टता के लिए सशक्तिकरण और साम्यता अवसर" स्कीम में ₹20.7 करोड़ की लागत की परियोजनाओं के माध्यम से अड़सठ वैज्ञानिकों को सहायता दी गई। समाज के कमजोर वर्गों से इस स्कीमों को जबरदस्त प्रतिक्रिया प्राप्त हुई। "एसईआरबी महिला उत्कृष्टता पुरस्कार" स्कीम द्वारा उन महिला वैज्ञानिकों को सहायता दी जाती रही जो किसी राष्ट्रीय अकादमी से युवा वैज्ञानिक/एसोसिएटशिप पुरस्कार प्राप्त हैं।

आठ वैज्ञानिकों को रामानुजन अध्येतावृत्ति प्राप्त हुई और अन्य ग्यारह वैज्ञानिकों को जेसी बोस अध्येतावृत्ति प्राप्त हुई। "जेसी बोस अध्येताओं" के कार्यानिष्ठादन पर थॉम्सन रियूटर्स द्वारा किए गए अध्ययन से पता चला है कि ये अध्येता सारगर्भित अनुसंधान प्रकाशित करते हैं और कुल मिलाकर इन अध्येताओं का उद्धरण प्रभाव भारतीय अनुसंधान से और विश्व के औसत प्रभाव से अधिक था।

पचास छात्रों को एनएसएन बोस छात्रवृत्ति के लिए चुना गया है। यह कार्यक्रम भारतीय और यूएस छात्रों को भारतीय संस्थाओं और प्रमुख यूएस विश्वविद्यालयों के बीच ओजस्वी छात्र विचार आदान-प्रदान कार्यक्रम विकसित करने का अवसर प्रदान करने के लिए आईयूएसएसटीएफ के साथ भागीदारी से कार्यान्वित किया जा रहा है। अन्य अन्तर्राष्ट्रीय कार्यक्रम जैसे विश्वव्यापी स्नातक अनुसंधान अवसर (जीआरओडब्ल्यू), अन्तर्राष्ट्रीय अनुसंधान एवं शिक्षण भागीदारी (पीआईआरई) आदि भी सक्रिय रहे। जीआरओडब्ल्यू कार्यक्रम, बोर्ड और राष्ट्रीय विज्ञान प्रतिष्ठान (एनएसएफ) के बीच एक भागीदारी कार्यक्रम है जो एनएसएफ स्नातक अनुसंधान अध्येताओं को भारत में विज्ञान और इंजीनियरी के उच्चतम क्षमता के स्थलों पर अनुसंधान सहयोगों के माध्यम से, उनके व्यावसायिक विकास के संवर्धन करने के अवसर मुहैया कराता है। पीआईआरई, एनएसएफ का एक अग्रणी अन्तर्राष्ट्रीय कार्यक्रम है, जो सभी विषयों में अनुसंधान और शिक्षण में उच्च गुणवत्ता की परियोजनाओं को सहायता देता है। वर्ष 2014 में पीआईआरई की घोषणा से एसईआरबी ने, एनएसएफ के साथ औपचारिक रूप से भागीदार बनने के लिए सहमति दी है।

खाद्य प्रसंस्करण से संबंधित कार्यक्रम में, ₹6.32 करोड़ की लागत की परियोजनाओं के माध्यम से कुल 36 वैज्ञानिकों को सहायता दी गई।

"अंतर्राष्ट्रीय यात्रा सहायता" (आईटीएस) स्कीम के अंतर्गत 2200 से अधिक वैज्ञानिकों को सहायता दी गई। यह स्कीम विदेशों में आयोजित होने वाले किसी अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक समारोह (सम्मेलन/सेमिनार/संगोष्ठी/कार्यशाला आदि) में रिसर्च पेपर प्रस्तुत करने अथवा अधिवेशन की अध्यक्षता करने अथवा मुख्य सम्बोधन के लिए वित्तीय सहायता मुहैया कराने के लिए तैयार की गई है। व्यावसायिक निकायों और सेमिनार/संगोष्ठी के लिए सहायता की स्कीम द्वारा, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर, सेमिनार/संगोष्ठी/प्रशिक्षण कार्यक्रम/कार्यशाला/सम्मेलन आयोजित करने के लिए, चयनित आधार पर आंशिक सहायता दी जाती है। ऐसे लगभग 750 समारोहों को सहायता दी जा चुकी है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विकासात्मक गतिविधियों में बड़ी संख्या में सेवानिवृत्त वैज्ञानिकों को शामिल करने में "सेवा निवृत्त वैज्ञानिकों की वैज्ञानिक विशेषज्ञता का उपयोग" (यूएसईआरएस) की स्कीम की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इस अवधि में बारह पुस्तकें प्रकाशित की गईं।

पीएसी और युवा वैज्ञानिक स्कीमों में अनुसंधान और विकास के प्रस्ताव भेजने के लिए ऑनलाइन पोर्टल www.serbonline.in पूरी तरह से कार्यशील बनाया गया है।

वर्ष 2014-15 में अनुसंधान और विकास के विभिन्न कार्यकलापों के लिए कुल ₹554.87 करोड़ का व्यय किया गया।


6. राजभाषा का कार्यान्वयन

विज्ञान और इंजीनियरी अनुसंधान बोर्ड अपने अस्तित्व में आने से लेकर अबतक राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देशों का कार्यान्वयन करता आ रहा है।

7. सूचना का अधिकार अधिनियम

आरटीआई अधिनियम 2005 के प्रावधानों का अनुपालन किया जा रहा है और आरटीआई अधिनियम के अंतर्गत आवेदकों को अपेक्षित सूचना मुहैया कराई जाती है।

अधिप्रमाणित



(वाई. एस. चौधरी)


विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में राज्य मंत्री

वाई. एस. चौधरी / Y.S. CHOWDARY
वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री
Minister of State in the Ministry of Science and Technology
भारत सरकार / Govt. of India
नई दिल्ली / New Delhi

विज्ञान और इंजीनियरी अनुसंधान बोर्ड (एसईआरबी), नई दिल्ली की वर्ष 2014-15 की वार्षिक रिपोर्ट और लेखा परीक्षित लेखा विवरण शीतकालीन सत्र, 2016 के दौरान संसद के दोनों सदनों के पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण स्पष्ट करते हुए विस्तृत विलम्ब विवरण

विज्ञान और इंजीनियरी अनुसंधान बोर्ड (एसईआरबी), नई दिल्ली के बारे में वर्ष 2014-15 की लेखा परीक्षित लेखा विवरण सहित वार्षिक रिपोर्ट, जो 2014-15 के शीतकालीन सत्र के दौरान लोकसभा/राज्यसभा के पटल पर रखी जानी अपेक्षित थी, बोर्ड और इस विभाग द्वारा किए गए सभी प्रयासों के बावजूद निर्धारित तारीख के अंदर नहीं रखी जा सकी। उपर्युक्त कागजात अब, शीतकालीन सत्र, 2016 के दौरान संसद के दोनों सदनों के पटल पर रखे जा रहे हैं।

2. रिपोर्ट को रखने में हुए विलम्ब, जो इस विभाग के नियंत्रण से बाहर की परिस्थितियोंवश हुआ था, के लिए वास्तव में खेद है।



(वाई एस चौधरी)

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय
और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में राज्यमंत्री

वाई. एस. चौधरी / Y.S. CHOWDARY

वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री

Minister of State in the Ministry of Science and Technology

भारत सरकार / Govt. of India

नई दिल्ली / New Delhi

वित्तीय वर्ष 2014-15 की बोर्ड की वार्षिक रिपोर्टों और लेखा परीक्षित लेखों को प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब के कारण

क्रम सं.	विवरण	वास्तविक स्थिति
(क)	तारीख, जब बोर्ड ने लेखों की लेखापरीक्षा हेतु लेखा परीक्षकों को नियुक्त करने के लिए लेखापरीक्षा प्राधिकारियों से संपर्क किया और उनकी नियुक्ति की तारीख।	18.09.2015 29.09.2015
(ख)	बोर्ड के वार्षिक लेखों के संकलन की तारीख।	14.09.2015
(ग)	तारीख, जब लेखापरीक्षकों को लेखापरीक्षा के लिए वार्षिक लेखे दिए गए।	29.09.2015
(घ)	तारीख, और अवधि, जब लेखापरीक्षकों द्वारा बोर्ड के वार्षिक लेखों की लेखापरीक्षा की गई।	29.09.2015 से 30.10.2015
(ङ)	लेखापरीक्षकों द्वारा वार्षिक लेखों की लेखा परीक्षा के दौरान उठाए गए प्रश्नों की तारीख।	29.09.2015 से 30.10.2015
(च)	तारीख, जब लेखापरीक्षकों को लेखापरीक्षा प्रश्नों के उत्तर भेजे गए।	29.09.2015 से 30.10.2015
(छ)	तारीख, जब लेखापरीक्षा प्राधिकारियों द्वारा प्रारूप लेखापरीक्षा रिपोर्ट जारी की गई।	23.11.2015
(ज)	तारीख, जब बोर्ड को अन्तिम लेखापरीक्षा रिपोर्ट प्राप्त हुई।	31.03.2016
(झ)	वार्षिक रिपोर्टों को अन्तिम रूप दिए जाने की तारीख।	20.07.2016
(ञ)	तारीख, जब ये दस्तावेज सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदित कराए गए।	29.07.2016
(ट)	तारीख, जब ये दस्तावेज अनुवाद और मुद्रण के लिए दिए गए और इस कार्य को पूरा करने में लगा समय।	10.08.2016 और 31.10.2016 (लगभग 02 महीने 21 दिन)
(ठ)	तारीख, जब ये दस्तावेज सदन में रखे जाने के लिए मंत्रालय को भेजे गए।	09.11.2016
(ड)	तारीख, जब ये दस्तावेज सदन के पटल पर रखे गए।	07.12.2016 लोकसभा में 08.12.2016 राज्यसभा में